न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 212/2019 | तारीख दायर 26-06-2019 | तारीख फैसला 11/03/2020

उनवान

01. अकतरी पत्नी श्री फजल हुसैन
02. मेहरूनिशा पत्नी श्री साहबूदीन जाति मुसलमान निवासीगण सदर बाजार गुरूग्राम हरियाणा हाल काश्तकार वाके ग्राम ग्वाल्दा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

बनाम

01. मिहरो पत्नी सबदल
02. जुबेदा पुत्री सबदल
03. पहलू
04. रमजान पुत्रान कोकुल
05. रसीद पुत्र बलवन्त
06. जैतुनी पत्नी अयुब जाति मेव निवासी ग्वाल्दा तहसील तिजारा जिला अलवर
07. राजस्थान सरकार जर्ये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.25 है0, 1949 रकबा 0.43 है0, 1950 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम ~~मसमपुर~~ ग्वाल्दा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के शामलात संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल है। मिन वादीगण व प्रतिवादीगण ने आज तक लिखित या मौखिक बंटवारा नहीं किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लिखित में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण मिन वादी के हिस्से पर जबरन निर्माण कार्य करने व दीगर जगह बेचान करने की धमकी देता है। विधि विरूद्व तरीके से निर्माण कार्य कर वादी को बेदखल करने पर उतारू है। वादी का प्रतिवादीगण के साथ कब्जा काश्त करना दूभर हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 आये दिन वादी के कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत पैदा करते है। वादी अपने हिस्से की बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर अलग खाता व लगान कायम कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा

... दीगर व्यक्ति को रहन बय हिबा से मुन्तकिल नहीं करें। कोई निर्माण कार्य न करें। मौके पर ...स्थिति बनाये रखें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमावें। वाद के समय जमाबन्दी संख्या 2071–2074 संलग्न की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तलबी के उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस वकील वादी एक तरफा सुनी गई।

वाद में दिनांक 19–09–2019 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा स्कीम तैयार कर कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार तिजारा ने जरिये पत्र कमांक एलआर/2020/6573 दिनांक 18-02-2020 कुर्रे रिपोर्ट मय तरमीशुद्वा नक्शा प्रेषित की प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने कुर्रे रिपोर्ट अनुसार दावा फाईनल डिकी किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। इस प्रकार दावा फाईनल डिकी किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी फाईनल डिकी किया जाकर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.25 है0, 1949 रकबा 0.43 है0, 1950 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम उपालहा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	अकतरी पत्नी फजल हुसैन, मेहरूनिशा पत्नी साहबुदीन जाति मुस्लमान सा0 सदर बाजार गुडगावां समभाग खातेदार	1948 1949 1950/1 किता 3	0.25 0.43 0.5104 1.1904	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	
02.	महमूदी पत्नी सुल्तान, रूकमू जाकर अख्तर असलम पुत्रान सुल्तान 1875/9896 हि0, इस्माइल पुत्र चावं खां 938/9896, मम्मन कल्लू खुर्शीद 1250/9896 हि0 पहलू रमजान पुत्रान कोतूल 1666/9896 हि0 रसीद पुत्र बलवन्त 1667/9896 जैतूनी पत्नी अयूब 2500/9896 हि0 जाति मेव सा0 देह खातेदार	1950/2	0.9896	बारानी 2	

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। पर्चा डिकी जारी हो।
आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी डॉ0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख [illegible]	तारीख [illegible]
[illegible] /2013	[illegible]	[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—— [illegible]

बनाम

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर
7. [illegible] तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

—— [illegible]

[illegible]

[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]

— [illegible] —

[illegible] खसरा नम्बर [illegible] रकबा 125 [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) [illegible] किया जाता है। [illegible]

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]/1	125 1.43 [illegible]	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	
		किता 3	[illegible]		
2.	[illegible]	[illegible]/2	[illegible]	बारानी 2	

[illegible]

(डॉ0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)